सं.12019/04/2017-रा.भा.(शिका.)/अन्य शिका.-2

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-II भवन, बी. विंग, चौथा तल
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 28 मार्च, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा राजभाषा का प्रशिक्षण ।

राजभाषा विभाग में प्राप्त अनेक शिकायतों में गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण शिविरों में केंद्र सरकार के अधिकारियों को नामित न किए जाने संबंधी इस विभाग के दिनांक 14/10/2016 के कार्यालय ज्ञापन सं.12019/04/2016-रा.भा.(शिका.)/अन्य शिका.4 पर चिंता व आपत्ति व्यक्त की गई है ।

राजभाषा विभाग की स्थापना संघ सरकार में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए की गई है| अत: विभाग का ध्येय एवं मूल भावना यही रही है कि संविधान के अनुच्छेद 343 में अंतर्निहित राजभाषा हिंदी की संकल्पना को मूर्तरूप दिया जाए | इस प्रयोजनार्थ किए जा रहे विविध प्रयासों यथा, केंद्र सरकार के कार्यालयों/ बैंकों/ उपक्रमों आदि द्वारा समय-समय पर कार्यशालाएं आयोजित किए जाना, हिंदी प्रशिक्षण की ऑनलाइन व्यवस्था होना आदि के साथ-साथ राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा प्रशिक्षण का कार्य भी नि:शुल्क एवं व्यापक स्तर पर नियमित रूप से किया जा रहा है | राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अंग्रेजी के अतिरिक्त 14 भारतीय भाषाओं - तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, बंगला, असमिया, मणिपुरी, मराठी, उडिया, पंजाबी, नेपाली, कश्मीरी, गुजराती, एवं बोडो के माध्यम से सरकारी काम-काज के लिये अनिवार्य हिन्दी का प्रशिक्षण देने की सुविधा http://lilappp.rb-aai.in पर उपलब्ध है | भारत सरकार के राजभाषा विभाग के अंतर्गत हिन्दी शिक्षण योजना के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एवं गुवाहाटी में 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं | प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णकालिक केंद्रों के साथ-साथ अंशकालिक केंद्रों पर भी संचालित किये जा रहे हैं |

केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालय, उपक्रम, बैंक आदि राजभाषा विभाग द्वारा गठित नराकास मंच व अपने स्तर पर कर्मियों/अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, वर्कशॉप आदि समय-समय पर आयोजित करते रहते हैं।

संदर्भित कार्यालय ज्ञापन (प्रति संलग्न) में स्पष्ट वर्णित है कि राजभाषा विभाग द्वारा किसी भी गैर-सरकारी संस्था को राजभाषा संबंधी सरकारी कर्मियों को प्रशिक्षण देने हेतु अधिकृत नहीं किया गया है । उक्त व्यवस्था किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोकने व पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु की गई हैं ।

(मंजुला सक्सैना)
उप सचिव (शिका.)

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (इस अनुरोध के साथ कि वे अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों/बीमा कंपनियों/बैंकों के संज्ञान में लाएं)

प्रतिलिपि:

1. राजभाषा विभाग (कार्यान्वयन-II अनुभाग) कृपया सभी नराकासो को भेजें ।
2. राजभाषा विभाग (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) कृपया वेबसाइट पर अपलोड करें ।

सं.12019/04/2016-रा.भा.(शिका.)/अन्य शिका.-4

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

एन.डी.सी.सी.-II भवन, बी विंग, चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 110001
दिनांकः- 14 अक्तूबर, 2016.

कार्यालय ज्ञापन

18 OCT 2016

विषय: गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा राजभाषा का प्रशिक्षण ।

इस विभाग के संज्ञान में आया है कि अनेक गैर-सरकारी संस्थाएं केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को राजभाषा का प्रशिक्षण देने के नाम पर महंगे शिविरों व कार्यशालाओं का आयोजन कर रही हैं तथा विज्ञापन के माध्यम से धन अर्जित कर रही हैं । इस विषय पर यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी गैर-सरकारी संस्था राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राजभाषा का प्रशिक्षण देने के लिए अधिकृत नहीं की गई है। राजभाषा विभाग के अंतर्गत कार्यरत पर्याप्त प्रशिक्षण केंद्र पहले से ही देश भर में काम कर रहे हैं जो केंद्र सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को नि:शुल्क विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देते हैं एवं राजभाषा पर विचार-विमर्श के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं (www ctb.rajbhasha.gov.in और www.chti.rajbhasha.gov.in)। राजभाषा विभाग के निदेशों के अनुसार सभी कार्यालय/बैंक/उपक्रम इत्यादि अपने-अपने कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते हैं । राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अंग्रेजी के अतिरिक्त 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रशिक्षण ऑनलाइन दिए जाने की सुविधा (www.rajbhasha.gov.in) उपलब्ध है। अत: राजभाषा के प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए सरकारी कोष से अनावश्यक धन खर्च करना वांछनीय नहीं है ।

ऐसी स्थिति में किसी भी गैर-सरकारी संस्था द्वारा आयोजित किए जाने वाले तथा कथित प्रशिक्षण शिविर, चिंतन शिविर व कार्यशालाओं में सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का राजभाषा के प्रचार के नाम पर भाग लेने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । सभी विभागाध्यक्ष कृपया इस विषय पर जिम्मेदारी समझते हुए समुचित कदम उठाएं।

(बिपिन बिहारी)
संयुक्त सचिव (राजभाषा)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय।विभाग ।